भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1738

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया गया)

भारतीय कंपनियों को विदेशों में सूचीबद्ध करना

1738. श्री सुधीर गुप्ताः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री फिरोज़ वरुण गांधीः

श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का भारतीय कंपनियों को अपने इक्विटी शेयरों को विदेशों में सूचीबद्ध करने की अनुमति देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ख) उक्त निर्णय कब तक लागू होने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव से भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है;

(घ) क्या किसी भारतीय कंपनी का इक्विटी शेयर वर्तमान में विदेशों में सूचीबद्ध है और यदि हां, तो स्टार्टअप्स सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार के प्रस्ताव में रुचि दिखाने वाली कंपनियों की संख्या और नाम क्या हैं;

(च) क्या सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है कि स्टार्टअप्स इस प्रस्ताव में शामिल होना चाहते हैं और यदि हां, तो स्टार्टअप्स की संख्या और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (छ): आर्थिक विभाग (वित्त मंत्रालय) के अधीन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भारत में निगमित कंपनियों के विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में और भारत से बाहर निगमित कंपनियों के भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में इक्विटी शेयरों के सूचीयन के मामले का अध्ययन करने के लिए 12 जून, 2018 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की है कि भारत में निगमित कंपनियों के इक्विटी शेयरों की कतिपय निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट विदेशी एक्सचेंजों में

जारी...2/-

सूचीयन की अनुमति दी जाए। वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक आदि ऐसे सूचीयन को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक संशोधन करने हेतु ढांचे की जांच करने और इसे कार्यान्वित करने के लिए एकजुट हैं। भारतीय कंपनियों के विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीयन से भारतीय कंपनियों की पूंजी तक पहुंच, व्यापक निवेशक आधार और बेहतर मूल्यांकनों से भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलने और भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलने की संभावना है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ होने की संभावना है:-

(i) "ब्रांड इंडिया" को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना;
(ii) बढ़ते हुए भारतीय प्रौद्योगिक क्षेत्र के लिए वृद्धित आकर्षण;
(iii) कुशलता और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दबाव;
(iv) उच्च वर्धित मूल्य वाले निर्यात के रूप में वित्तीय सेवाओं का विकास;
(v) अन्य देशों के साथ बेहतर आर्थिक संबंध आदि;

इसके अतिरिक्त, आर्थिक कार्य विभाग ने अपने दिनांक 25.02.2020 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि उन्हें प्रत्यक्ष सूचीयन के प्रस्ताव के संबंध में केवल एक एंटिटी अर्थात् सॉफ्टबैंक ग्रुप से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार मंत्रालय को भी इंडियन वेंचर कैपिटल एसोसिएशन से पत्र प्राप्त हुआ है।

****